क.

एस. चंद्रसेखरन और ओआरएस।

वी.

एम. दिनकर और ए. एन. आर.

(2022 की सिविल अपील संख्या 4688-4689)

11 जुलाई, 2022

[दिनेश माहेश्वरी और अनिरुद्ध बोस**,** जे**.** जे**.]**

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 -धारा 166,168-क्षतिपूर्ति-वृद्धि-दुर्घटना हुई जिसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी की पत्नी की मृत्यु हो गई-अपीलार्थी द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष दावा दायर किया गया था-न्यायाधिकरण ने मुआवजे के रूप में रु। 36,92,350-और दुर्घटना के समय मृतक बेरोजगार था, इसलिए मृतक की मासिक आय की गणना उसके पति की आय के आधार पर की गई थी (अरुण कुमार अग्रवाल और अन्य लोगों के फैसले के बाद)-हालाँकि, उच्च न्यायालय ने मृतक के वेतन को उस नौकरी में माना जहां वह दुर्घटना से तीन साल पहले लगी हुई थी। 32,82,090-- अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाःउसके नौकरी में रहने के समय और दुर्घटना की घटना के बीच एक लंबा समय का अंतराल है, इस प्रकार उसका वेतन उसकी काल्पनिक आय निर्धारित करने के लिए एक अविश्वसनीय मार्गदर्शक होगा-न्यायाधिकरण ने अरुण कुमार अग्रवाल के मामले में निर्धारित पाठ्यक्रम का सही तरीके से पालन किया था-उच्च न्यायालय द्वारा आर्थिक नुकसान में कटौती सही नहीं है-व्यक्तिगत खर्चों के लिए मृतक की निर्धारित आय के एक तिहाई हिस्से की कटौती सरला वर्मा के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर मान्य है-भविष्य की संभावना के नुकसान पर न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया था ताकि आर्थिक नुकसान की मात्रा पर पहुंचा जा सके-इसके अलावा, संघ के नुकसान में प्यार और स्नेह की हानि को समझा जाता है, उच्च न्यायालय के प्रति मुआवजा देना उचित नहीं है। 46,17,350-- अपील की अनुमति है।

ग

डी.

ई.

च

जी.

अरुण कुमार अग्रवाल और एक अन्य बनाम राष्ट्रीय बीमा

कंपनी लिमिटेड और अन्य।[(2010) 9 एससीसी 218:[2010] 9 एस. सी. आर. 303-पर निर्भर।

एच.

सरला वर्मा (श्रीमती) और अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम और एक अन्य (2009) 6 एस. सी. सी. 121; राजेंद्र सिंह और अन्य बनाम राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड और अन्य (2020) 7 एस. सी. सी. 256:

[2020] 6 एस**.** सी**.** आर**. 579-**संदर्भित।निर्णीत विधि संदर्भ

[2010] 9 एससीआर **303**

पर भरोसा किया

पैरा **4**

[2020] 6 एससीआर **579**

पैरा **14** को संदर्भित किया गया

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2022 की सिविल अपील संख्या 4688-4689।

ग

2014 के सी. एम. ए. सं. 3017 में मद्रास में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 27.02.2012 और 2014 के सी. एम. ए. सं. 3313 में प्रति अपील से।

पी. बी. सुरेश, विपिन नायर, अरिंदम घोष, कार्तिक जयशंकर, प्रकाश बघेल, अधिवक्ता।अपीलार्थियों के लिए।

डी.

अमित कुमार सिंह, श्रीमती के. एनाटोली सेमा, सुश्री चुबलेमला चांग, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अनिरुद्ध बोस**,** जे।

ई.

अनुमति प्रदान की गई।

2. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 अधिनियम) के तहत मुआवजे की कार्रवाई में हमारे सामने अपीलकर्ता दावेदार हैं। 28 फरवरी 2011 को लगभग 10 बजे एक दुर्घटना हुई थी:45 ए. एम., जिसके परिणामस्वरूप एक 37 वर्षीय महिला बाला बबीता की मृत्यु हो गई और उसके पति और उसकी नाबालिग बेटी को चोटें आईं।पहला अपीलार्थी मृतक का पति होता है।दूसरे और तीसरे अपीलार्थी उनके बच्चे हैं, जो दुर्घटना के समय उम्र के हिसाब से नाबालिग थे।चौथा अपीलार्थी मृतक की माँ है।मृतक के साथ पहला अपीलार्थी और तीसरा अपीलार्थी चेन्नई शहर में वेलाचेरी से आदमबक्कम तक एक ऑटो रिक्शा में यात्रा कर रहे थे, जिसे एक वाहन (पंजीकरण संख्या वाले) ने टक्कर मार दी थी। टीएन-04-डब्ल्यू-6189)।प्रत्यर्थी नं। 1 उस वाहन का मालिक था।दूसरा प्रतिवादी बीमा कंपनी है, जिसकी पॉलिसी में उल्लंघन करने वाले वाहन को शामिल किया गया है।

च

जी.

एच.

क.

3. अपीलार्थियों द्वारा मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, चेन्नई (न्यायाधिकरण) के समक्ष 1988 के अधिनियम की धारा 166 के तहत दावा दायर किया गया था।न्यायाधिकरण के समक्ष, उल्लंघन करने वाले वाहन को जल्दबाजी में और लापरवाही से चलाना साबित हो गया था, और मद्रास में उच्च न्यायालय द्वारा 27 फरवरी 2018 को दिए गए अपने फैसले में अपील में यह निष्कर्ष परेशान नहीं था।वर्तमान अपीलें उस निर्णय से उत्पन्न होती हैं।न्यायाधिकरण ने अपीलार्थी नं.1 रुपये की राशि के लिए। 4,77,100 -मृतक की नाबालिग बेटी (अपीलार्थी संख्या 3) और पहले अपीलार्थी को रुपये का मुआवजा दिया गया।उक्त बाला बबीता की मृत्यु के कारण मुआवजे की राशि की गणना न्यायाधिकरण द्वारा Rs.36,92,350/- की की गई थी।मृतक की मासिक आय की गणना उसके पति की आय के एक तिहाई के रूप में की गई थी।न्यायाधिकरण ने पाया कि पति की आय Rs.78,700/- प्रति माह है।पति की मासिक आय के इस निष्कर्ष को उच्च न्यायालय ने बाधित नहीं किया।क्षतिपूर्ति राशि पर दावा दायर करने की तारीख से जमा करने की तारीख तक 7.5 प्रतिशत प्रति वर्ष का ब्याज देना था।पुरस्कार राशि को पुरस्कार की तारीख से दो महीने के भीतर जमा करने का निर्देश दिया गया था।

ग

डी.

4. बीमा कंपनी और अपीलकर्ता दोनों ने मृतक और घायल पीड़ितों के संबंध में मुआवजे के रूप में दी गई राशि के संबंध में अलग-अलग अपीलों को प्राथमिकता दी।उच्च न्यायालय ने पहले अपीलार्थी के संबंध में मुआवजे के रूप में दी गई राशि को घटाकर रु. 3,41,000-कर दिया।जहाँ तक तीसरे अपीलार्थी का संबंध है, मुआवजे के रूप में रु. 2,06,000 का पुरस्कार बरकरार रखा गया।उच्च न्यायालय द्वारा मृतक पीड़ित के परिवार को दिए गए मुआवजे को संशोधित किया गया और इसे घटाकर Rs.32,82,090/- कर दिया गया।न्यायाधिकरण ने इस न्यायालय के एक फैसले के बाद मृतक के परिवार के जीवित सदस्यों के लिए उसके पति की आय के आधार पर गणना की गई उसकी काल्पनिक आय पर मुआवजे की मात्रा निर्धारित की थी।

ई.

च

अरुण कुमार अग्रवाल और एक अन्य बनाम राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड और अन्य के मामले में वितरित।[(2010) 9 एससीसी 218]।

हालाँकि, उच्च न्यायालय ने तीन साल पहले की नौकरी में उनके वेतन को उनके परिवार के जीवित सदस्यों को दिए जाने वाले आर्थिक नुकसान की मात्रा निर्धारित करने का आधार माना।न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय दोनों ने आर्थिक नुकसान के आंकड़े पर पहुंचने के लिए गुणक सिद्धांत को लागू किया था।हमारे सामने, मृतक पीड़ित के परिवार को मुआवजे में कमी के मुद्दे पर तर्क दिए गए हैं और हम अपना निर्णय केवल उसी मुद्दे तक सीमित रखेंगे।

जी.

5. न्यायाधिकरण द्वारा मृतक पीड़ित के लिए दिए जाने वाले मुआवजे की मात्रा निर्धारित करने के लिए जिन शीर्षों के तहत निर्णय दिया गया था, वे थेः- ए.

एच.

291

एस. चंद्रशेखरन और ओ. आर. एस. बनामएम. दिनकर और ए. एन. आर. [अनिरुद्ध बोस, जे।] ए.

ग

6. पुरस्कार को संशोधित करते समय, उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित शीर्षों के तहत मुआवजे की गणना कीः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

डी.

ई.

7. अब हमें इस बात पर ध्यान देना है कि क्या पीड़ित की मृत्यु के कारण हुए आर्थिक नुकसान की गणना उसकी व्यक्तिगत आय पर की जानी चाहिए जो उसने लगभग तीन साल पहले अपने रोजगार से अर्जित की थी या यह उसके जीवित पति की आय से संबंधित होनी चाहिए।यह सवाल इसलिए उठता है क्योंकि न्यायाधिकरण के समक्ष सबूत थे कि मृतक बी. कॉम. की डिग्री के साथ स्नातक था और वर्ष 2008 तक एक ऐसी कंपनी में कार्यरत था जिसका मासिक वेतन Rs.34,385/- था।हालांकि, दुर्घटना के समय मृतक नौकरी पर नहीं था।न्यायाधिकरण ने अरुण कुमार अग्रवाल (उपरोक्त) के मामले के आधार पर मुआवजे का निर्धारण किया।इस फैसले में कहा गया हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

च

जी.

“35. हमारे विचार में, एक मृत पत्नी/माँ, जिनकी नियमित आय नहीं है, के आश्रितों को देय मुआवजे की गणना करना अत्यधिक अनुचित, अन्यायपूर्ण और अनुचित है।

एच.

उसकी सेवाओं की तुलना एक घर की देखभाल करने वाले या एक नौकर या एक कर्मचारी से करके, जो एक निश्चित अवधि के लिए काम करता है।पत्नी/माँ द्वारा पति और बच्चों को दी जाने वाली अनावश्यक सेवाओं को किसी कर्मचारी की सेवाओं के बराबर नहीं माना जा सकता है और ऐसी सेवाओं के मूल्य का अनुमान लगाने के लिए संभवतः कोई सबूत या डेटा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।गृहिणी के निधन पर पति और बच्चों को व्यक्तिगत देखभाल और ध्यान के नुकसान को पैसे के संदर्भ में मापना लगभग असंभव है।अपने विवेक में, विधायिका ने 1994 में ही एक गैर-कमाने वाले व्यक्ति की अनुमानित आय रुपये निर्धारित की थी। 15, 000 प्रति वर्ष और जीवनसाथी के मामले में, मुआवजे की गणना के उद्देश्य से कमाने वाले/जीवित जीवनसाथी की एक तिहाई आय।"

ग

8. दूसरी ओर, उच्च न्यायालय इस आधार पर आगे बढ़ा कि आर्थिक नुकसान की मात्रा निर्धारित करने में न्यायसंगत और उचित मुआवजे पर पहुंचने के लिए मृतक की मासिक आय के रूप में Rs.34,385/- की राशि तय करना उचित होगा।इस पहलू पर उच्च न्यायालय का तर्क थाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

डी.

"हालाँकि मृत्यु के समय, मृतक बाला बबीता एक गृहिणी थी, पहले वह एक निजी कंपनी में काम कर रही थी और प्रति माह Rs.34,385/- की राशि कमा रही थी, जो Ex.Ps.23 & से स्पष्ट है।24. इसलिए, मृतक की मासिक आय के रूप में Rs.34,385/- की राशि तय करना उचित होगा ताकि आर्थिक नुकसान के शीर्ष के तहत उचित और उचित मुआवजे पर पहुंचा जा सके।यदि मृतक की मासिक आय के रूप में <ID1,385/- की राशि ली जाती है, तो व्यक्तिगत खर्चों के लिए 50 प्रतिशत राशि काटनी होती है और यदि ऐसा किया जाता है, तो परिवार के लिए मासिक योगदान <ID2,193/- हो जाता है। दुर्घटना के समय मृतक की आयु 37 वर्ष थी; इसलिए, इस मामले में लागू किया जाने वाला सही गुणक 15 है।यदि गुणक 15 लागू किया जाता है, तो कुल आर्थिक नुकसान Rs.30,94,740/- (17,193 x 12 x 15) हो जाता है।नतीजतन, न्यायाधिकरण द्वारा आर्थिक हानि शीर्ष के तहत दिए गए <ID1,50,000/- की राशि को इसके द्वारा संशोधित किया जाता है और इसे घटाकर <ID2,94,740/- कर दिया जाता है।"

ई.

च

जी.

(पेपरबुक से शब्दशः उद्धृत**)**

9. हमारी राय में, इस मुद्दे पर उच्च न्यायालय का निर्णय दो मामलों में त्रुटि से ग्रस्त है।उसकी मृत्यु के समय, मृतक नौकरी में नहीं था।वह एक गृहिणी थीं।यह ऐसा मामला नहीं था जहाँ ए

एच.

293

एस. चंद्रशेखरन और ओ. आर. एस. बनामएम. दिनकर और ए. एन. आर. [अनिरुद्ध बोस, जे।] ए.

दुर्घटना के समय मृतक ने अभी-अभी अपनी नौकरी छोड़ी थी।यदि ऐसा था, तो उनके अंतिम वेतन ने उस समय उनकी मासिक आय की गणना के लिए विश्वसनीय मार्गदर्शन दिया होगा।यहां मृतक लगभग तीन साल की अवधि तक बिना रोजगार के रहा और उससे पहले उसने जो कमाया था, उसे उसकी मासिक आय के रूप में नहीं माना जाना चाहिए था ताकि आर्थिक नुकसान के शीर्ष के तहत न्यायसंगत और उचित मुआवजे पर पहुंचा जा सके, जैसा कि उच्च न्यायालय ने माना है।वह जिस समय नौकरी में थी और दुर्घटना की घटना के बीच एक लंबा समय का अंतराल है।इस प्रकार लगभग तीन साल पहले उनका मासिक वेतन उनकी अनुमानित आय को निर्धारित करने के लिए एक अविश्वसनीय मार्गदर्शक होगा जब उन्होंने दुर्घटना के कारण अपनी चोटों के कारण दम तोड़ दिया था।इसके अलावा, दुर्घटना के समय, वह एक गृहिणी थी जो अपने परिवार की देखभाल और सहायता

करती थी।इस संदर्भ में, हमारी राय में, अरुण कुमार अग्रवाल (उपरोक्त) के मामले में निर्धारित गणना पद्धति लागू करने के लिए अधिक उपयुक्त होगी, जो न्यायाधिकरण द्वारा की गई थी।

ग

10. बीमा कंपनी की ओर से हमारे समक्ष याचिका दायर की गई है कि अपीलकर्ता मृतक की आय की गणना अरुण कुमार अग्रवाल (उपरोक्त) के मामले में किए गए तरीके से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उच्च न्यायालय के समक्ष उन्होंने एक मामला चलाया था कि आर्थिक नुकसान की गणना उसके अंतिम वेतन के आधार पर की जानी चाहिए।सिर्फ इसलिए कि अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय के समक्ष मृतक के अंतिम वेतन के आधार पर अपने दावे का आग्रह किया, इस न्यायालय को केवल उसी तर्क पर अपना निर्णय नहीं देना चाहिए।यह इस न्यायालय के लिए खुला है कि वह दावे की प्रकृति की जांच करे और एक अलग मानदंड को लागू करते हुए एक अलग मानदंड पर मुआवजे की गणना करे।यह और भी अधिक है, क्योंकि इस तरह के मुआवजे का आंकड़ा रिकॉर्ड पर सामग्री के आधार पर पाया जा सकता है, जिसमें मृतक के पति की मासिक कमाई पर साक्ष्य शामिल है और लागू मापदंड को न्यायिक रूप से आर्थिक नुकसान की गणना के लिए एक वैध तरीके के रूप में मान्यता प्राप्त है।इसके अलावा, इस मामले में, पति की आय के एक तिहाई के आधार पर गणना किए गए मुआवजे के लिए दावा याचिका में याचिका दायर की गई थी।अपील के लिए विशेष अनुमति की याचिका में भी एक बिंदु तैयार किया गया है कि क्या बाला बबीता की मृत्यु के कारण मुआवजे की गणना उनके अंतिम वेतन या उनके पति की आय के आधार पर की जाएगी।

डी.

ई.

च

जी.

11. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 168 में कहा गया हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“168. दावा न्यायाधिकरण का अधिनिर्णय।—एक प्राप्त होने पर

धारा 166 के तहत मुआवजे के लिए आवेदन,

एच.

दावा न्यायाधिकरण, बीमाकर्ता को आवेदन की सूचना देने के बाद और पक्षकारों (बीमाकर्ता सहित) को सुनवाई का अवसर देने के बाद, दावे की जांच करेगा या, जैसा भी मामला हो, प्रत्येक दावे की जांच करेगा और धारा 163 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, मुआवजे की राशि निर्धारित करने के लिए एक पुरस्कार दे सकता है जो उसे न्यायसंगत प्रतीत होती है और उस व्यक्ति या व्यक्तियों को निर्दिष्ट कर सकता है जिसे मुआवजा दिया जाएगा और पुरस्कार देने में दावा न्यायाधिकरण उस राशि को निर्दिष्ट करेगा जो दुर्घटना में शामिल वाहन के बीमाकर्ता या मालिक या चालक या उन सभी या उनमें से किसी द्वारा, जैसा भी मामला हो, भुगतान की जाएगीः.....

ग

(2) दावा न्यायाधिकरण पुरस्कार की तारीख से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर संबंधित पक्षों को शीघ्रता से और किसी भी मामले में पुरस्कार की प्रतियां देने की व्यवस्था करेगा।

डी.

(3) जब इस धारा के तहत कोई अधिनिर्णय दिया जाता है, तो जिस व्यक्ति से ऐसे अधिनिर्णय के संदर्भ में कोई राशि का भुगतान करने की आवश्यकता होती है, वह दावा न्यायाधिकरण द्वारा अधिनिर्णय की घोषणा की तारीख के तीस दिनों के भीतर, अधिनिर्णय की गई पूरी राशि को इस तरह से जमा करेगा जैसा कि दावा न्यायाधिकरण निर्देश दे।"

ई.

12. उपरोक्त प्रावधान न्यायाधिकरण को दुर्घटना से हुई मौतों और चोटों से उत्पन्न दावों की जांच करने और मुआवजे का निर्धारण करने के लिए निर्णय लेने की शक्ति और अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है जो उसे उचित लगता है।क्षतिपूर्ति राशि निर्धारित करने के लिए जिन कारकों पर विचार किया जाना चाहिए, उनके संबंध में न्यायाधिकरण या अपीलीय मंच द्वारा अपनी जांच को दावेदार की याचिका तक सीमित रखने की स्थिति में यह विधायी उद्देश्य को विफल कर देगा।उपरोक्त प्रावधान के तहत जांच करने की शक्ति का इस तरह से प्रतिबंधात्मक तरीके से अर्थ नहीं लगाया जा सकता है।यदि उन कारकों को स्थापित नहीं किया जा सकता है जिन पर दावे की मात्रा निर्धारित करने के लिए कहा जाता है, तो 1988 के अधिनियम के तहत न्यायनिर्णायक मंच को उचित मुआवजे पर पहुंचने की अपनी शक्ति से वंचित कर दिया जाएगा, भले ही कार्यवाही के दौरान, प्रकट की गई सामग्री उन मानदंडों के अलावा कुछ मानदंडों के आधार पर मुआवजे के पुरस्कार को उचित ठहरा सकती है जिन पर दावा किया गया है।तत्काल मामले में, हम पाते हैं कि न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ताओं/दावेदारों को मुआवजा देने की कार्यवाही करते समय ए द्वारा निर्धारित सिद्धांत पर भरोसा किया था।

च

जी.

एच.

295

एस. चंद्रशेखरन और ओ. आर. एस. बनामएम. दिनकर और ए. एन. आर. [अनिरुद्ध बोस, जे।] ए.

यह न्यायालय अरुण कुमार अग्रवाल (ऊपर) के मामले में और मृतक के पति की आय का आकलन करने के लिए न्यायाधिकरण के समक्ष साक्ष्य था।वास्तव में, पहले अपीलार्थी के मुआवजे की मात्रा निर्धारित समय पर उसकी अपनी आय को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की गई थी।हमारी राय में, उच्च न्यायालय को दुर्घटना से लगभग तीन साल पहले मृतक पीड़ित द्वारा प्राप्त आय के आधार पर आगे नहीं बढ़ना चाहिए था।न्यायाधिकरण ने मृतक की अनुमानित आय को उसके पति की आय के बराबर करने में विशुद्ध अनुमान नहीं लगाया।जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, दावा याचिका में ही, "मृतक के व्यवसाय" कॉलम के खिलाफ-मृतक की आय की गणना उसके पति की आय के आधार पर विचार की गई थी।न्यायाधिकरण ने अरुण कुमार अग्रवाल (उपरोक्त) के मामले में निर्धारित पाठ्यक्रम का उचित रूप से पालन किया था, जो दिए गए तथ्यों में, आर्थिक नुकसान की मात्रा निर्धारित करने के लिए एक अधिक निश्चित और विश्वसनीय पद्धति का गठन करता है।

ग

13. जहाँ तक व्यक्तिगत खर्चों के कारण कटौती की बात है

सरला वर्मा (श्रीमती) और अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम और एक अन्य [(2009) 6 एस. सी. सी. 121] के मामले के बाद न्यायाधिकरण ने

डी.

मृतक की कमाई का एक तिहाई हिस्सा काटने का निर्देश दिया गया है, बाद वाला उसके जीवनसाथी की आय पर निर्धारित किया जा रहा है।हमर दृष्टिसँ ई उचित मार्ग छल।हम ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि भले ही हम मृतक के पति को आश्रित के रूप में माने जाने से छोड़ दें, लेकिन उस समय दो नाबालिग बच्चे थे जिन्हें आश्रित परिवार के सदस्यों के रूप में माना जाना चाहिए था।उस समय दूसरा अपीलार्थी बारह वर्ष का था और घायल बेटी की आयु तीन वर्ष थी।सरला वर्मा (उपरोक्त) के मामले में कटौती को उस मामले में वैध माना गया है जहां आश्रित परिवार के सदस्य थे।हमें "आश्रित" शब्द का अर्थ केवल आर्थिक रूप से निर्भर लोगों तक सीमित नहीं रखना चाहिए।छोटे बच्चे भावनात्मक रूप से माँ पर निर्भर होते हैं।उन्होंने बहुत कम उम्र में अपनी

माँ की देखभाल और मार्गदर्शन खो दिया।न्यायसंगत मुआवजे पर पहुँचते समय, न्यायाधिकरण को इन शर्तों में निर्भरता के नुकसान को ध्यान में रखना चाहिए।

ई.

च

14. उच्च न्यायालय ने आर्थिक नुकसान की गणना में 50 प्रतिशत की कटौती करने का कोई कारण नहीं बताया और हमें नहीं लगता कि यह सही दृष्टिकोण था।हमारा विचार है कि व्यक्तिगत खर्चों के लिए मृतक की निर्धारित आय के एक तिहाई हिस्से की कटौती सरला वर्मा (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के फैसले के आधार पर मान्य है।हम यह भी पाते हैं कि न तो न्यायाधिकरण और न ही उच्च न्यायालय ने भविष्य के नुकसान पर विचार किया था

जी.

एच.

आर्थिक हानि की मात्रा तक पहुँचने की संभावना।के मामले में

राजेंद्र सिंह और अन्य बनाम राष्ट्रीय बीमा कंपनी

सीमित और अन्य [(2020) 7 एस. सी. सी. 256], भविष्य की संभावनाओं के नुकसान को जोड़ना आर्थिक नुकसान के शीर्ष के तहत मुआवजे का निर्धारण करने के लिए एक कारक माना गया है, यहां तक कि ऐसे मामले में भी जहां मृतक की आय एक काल्पनिक आधार पर की जाती है।इस फैसले में कहा गया हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“11. इसलिए पहले मृतक की अनुमानित आय मृत्यु के समय प्रति माह 5000 रुपये मानी जाती है।उस आधार पर 1/4 की कटौती के साथ मुआवजा यानी रु। 17 के गुणक के साथ व्यक्तिगत खर्चों के लिए 15,000 रुपये का आकलन 7,65,000 किया जाता है।लता वाधवा [लता वाधवा बनाम बिहार राज्य, (2001) 8 एस. सी. सी. 197] में टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, यदि मृतक बच गया होता, तो परिवार के कल्याण और देखभाल और बच्चों के पालन-पोषण में योगदान करने में एक परिपक्व और कुशल गृहिणी के रूप में उसके कौशल में समय के साथ ही वृद्धि होती और इस कारण से हमारा मानना है कि अपीलकर्ता पहले से ही दिए गए संघ के नुकसान और भविष्य के खर्चों के अलावा 40 प्रतिशत की दर से भविष्य की संभावनाओं के हकदार होंगे।इसलिए हम पहली अपील में अपीलार्थियों को देय कुल मुआवजे का आकलन 11,96,000 पर करते हैं।"

ग

डी.

ई.

15. मृत्यु के समय मृतक की आयु 37 वर्ष थी।इसलिए, भविष्य की संभावनाओं के लिए मृतक की अनुमानित आय में 40 प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए क्योंकि उसकी आयु 40 वर्ष से कम थी।वर्तमान मामले में, यह विवाद में नहीं है कि 15 का गुणक लागू किया जाना चाहिए।इन परिस्थितियों में, आर्थिक हानि के शीर्ष के तहत अपीलार्थियों की कुल पात्रता इस प्रकार होगीः- ए.

च

जी.

एच.

297

एस. चंद्रशेखरन और ओ. आर. एस. बनामएम. दिनकर और ए. एन. आर. [अनिरुद्ध बोस, जे।] ए.

16. तदनुसार, हम उच्च न्यायालय के फैसले को उक्त बाला बबीता की मृत्यु के कारण हुए आर्थिक नुकसान की गणना की सीमा तक एक राशि Rs.30,94,740/- के लिए अलग करते हैं।हम उक्त राशि को Rs.44,10,000/- के रूप में निर्धारित करते हैं।

17. प्रत्यर्थियों की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि प्रेम और स्नेह की हानि के लिए दिया गया मुआवजा संयुक्त भारत के मामले में इस न्यायालय के फैसले के अनुपात के विपरीत है।

बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम सतिंदर कौर उर्फ सतविंदर

कौर और अन्य [(2021) 11 एससीसी 780]।इस निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि प्रेम और स्नेह की हानि को संघ की हानि में समझा जाता है, और एक अलग प्रमुख के रूप में प्रेम और स्नेह की हानि के लिए मुआवजा देने का कोई औचित्य नहीं है।फैसले के प्रासंगिक पैराग्राफ नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैंः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ग

“34. इस स्तर पर, हम संघ के अनुदान और प्रेम और स्नेह के नुकसान के संबंध में एकरूपता प्रदान करना आवश्यक समझते हैं।कई न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय संघ के नुकसान और प्यार और स्नेह के नुकसान दोनों के लिए मुआवजा दे रहे हैं। प्रणय सेठी में संविधान पीठ ने केवल तीन पारंपरिक शीर्षों को मान्यता दी है जिनके तहत मुआवजा दिया जा सकता है जैसे संपत्ति का नुकसान, संघ का नुकसान और अंतिम संस्कार का खर्च।मैग्मा जनरल में, इस न्यायालय ने पति-पत्नी संघ, माता-पिता संघ के साथ-साथ संतान संघ को शामिल करने के लिए संघ को एक व्यापक व्याख्या दी।प्रेम और स्नेह की हानि को संघ की हानि में समझा जाता है।

डी.

ई.

35. न्यायाधिकरणों और उच्च न्यायालयों को संघ के नुकसान के लिए मुआवजा देने का निर्देश दिया जाता है, जो एक वैध पारंपरिक प्रमुख है।एक अलग प्रमुख के रूप में प्यार और स्नेह की हानि के लिए मुआवजा देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।"

च

18. हम उत्तरदाताओं द्वारा दिए गए इस तर्क को स्वीकार करते हैं।इस प्रकार उच्च न्यायालय ने प्रेम और स्नेह की हानि और संघ की हानि के शीर्ष के तहत मुआवजे का प्रावधान करते हुए कानून में त्रुटि की है।इसके बजाय, हमारी राय में, संघ के नुकसान के शीर्ष के तहत प्रदान किया गया मुआवजा रु। 40, 000/- प्रत्येक अपीलार्थी के लिए, उसके भीतर प्रेम और स्नेह की हानि

को समझते हुए।इसलिए, इस शीर्ष के तहत प्रदान किया गया कुल मुआवजा रुपये 1,60,000-होगा।उच्च न्यायालय के निर्णय के उस भाग को तदनुसार संशोधित किया जाएगा।

जी.

एच.

19. हम अन्य शीर्षों पर मुआवजे की गणना के संबंध में उच्च न्यायालय के निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाते हैं। न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय दोनों द्वारा 7.5 प्रतिशत प्रति वर्ष का ब्याज दिया गया है।हम ब्याज की दर पर उच्च न्यायालय और न्यायाधिकरण के समवर्ती विचारों को बाधित नहीं करते हैं।ब्याज दर बढ़ाने के उनके तर्क के समर्थन में अपीलार्थियों की ओर से कुछ अधिकारियों का हवाला दिया गया था।पहला, [(2001) 2 एस. सी. सी. 9] में 20 मार्च 1986 को हुई एक दुर्घटना से संबंधित है।अगला, आग से स्टॉक के नुकसान पर बीमा दावे से संबंधित [(2009) 8 एस. सी. सी. 507] में रिपोर्ट किया गया और उस मामले में दुर्घटना की तारीख 24 अगस्त 1999 थी।पिछले कुछ वर्षों में बैंक की ब्याज दर में गिरावट आई है और इस कारण से हम इस मुद्दे पर अपील में न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हैं।

ग

बाला बबीता की मृत्यु के कारण अपीलार्थियों को देय कुल राशि इस प्रकार होगीः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

डी.

ई.

20. उपरोक्त राशि उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित अनुपात में अपीलार्थियों को देय होगी, सिवाय इसके कि चौथे अपीलार्थी (जो मृतक की मां है) के मामले में, हम उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित रुपये के बजाय रुपये का एकमुश्त भुगतान करने का निर्देश देते हैं।उपरोक्त राशि का भुगतान इस तारीख से दो महीने के भीतर किया जाएगा, जिसमें से किसी भी राशि का समायोजन किया जाएगा जो अपीलार्थियों को पहले ही भुगतान की जा चुकी हो।दावा याचिका दायर करने की तारीख से इस निर्णय और आदेश के संदर्भ में भुगतान किए जाने तक अवैतनिक राशि पर 7.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा।

च

जी.

21. लागत के बारे में किसी भी आदेश के बिना, उपरोक्त शर्तों में अपील की अनुमति है।

22. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाएगा।

एच.

अंकित ज्ञान

अपीलों की अनुमति दी गई।

(सहायकः आरश चौधरी, एलसीआरए)